

**न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला-पाली) राज०**

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या : 388/2015

GCMS No. : 2015/00274

-:: वादी ::-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण ::-

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. सिद्धि विनायक सीमेन्ट प्रा० लि०
302 अभिशिल्प कॉम्प्लेक्स नियर
केशवबाग पार्टी प्लोट सेटेलाई
अहमदाबाद जरिये चिमनभाई पुत्र
पोपटभाई रफालिया हाल निम्बोल
तहसील जैतारण जिला पाली(राज.)
2. चर्तुभुज पुत्र चौथमल कौम- छीपा
निवासी झालरापाटन
3. कंचनदेवी पत्नी दुर्गाराम सांखला माली
निवासी- निम्बोल तहसील- जैतारण

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 तारीख रजू :- 22.07.2015**

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।

2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 16/05/2022

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा- निम्बोल में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 392 रकबा 35-16 बीघा, में से 11-18 बीघा किरम- बारानी दायम, लगान 11.20 प्रतिवर्ष के हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 11-18 बीघा किरम बारानी दायम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा- निम्बोल तहसील- जैतारण, जिसका खसरा नम्बर 392 रकबा 35-16 बीघा, में से 11-18 बीघा, किरम- बारानी दायम, आई हुई है, जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 15.06.2015 प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि समावधि में है।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद नोटिसेज सूचना/तामिल के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली



अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो कि शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया है कि नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) जिसमें मैसर्स सिद्धि विनायक सिमेन्ट प्रा. लि. का समागम मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो जाने से एवं तत्पश्चात मैसर्स निरमा लिमिटेड निम्बोल सिमेन्ट प्लांट का डीमर्जर निरमा लिमिटेड से मर्जर नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड में हो जाने से उनकी ओर से जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री परिक्षित खिड़ीया की ओर से कि प्रार्थी मैसर्स सिद्धि विनायक कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी थी। तत्पश्चात इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स के निवेदन पर माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.04.2015 के तहत इस कम्पनी का समागम में मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो गया है। इस प्रकार से मैसर्स निरमा लिमिटेड कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी है। जिसका मुख्यालय निरमा हाउस आश्रम रोड़ अहमदाबाद 380009 गुजरात है मैसर्स निरमा लिमिटेड का एक सीमेन्ट प्लांट ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में संचालित व उत्पादनरत रहा था। तत्पश्चात माननीय नेशनल कम्पनी ल० ट्रिब्युनल अहमदाबाद ब्रांच अहमदाबाद से पारित आदेश दिनांक 25.11.2019 प्रकरण संख्या 113/2019 के जरिये व माननीय नेशनल कम्पनी ट्रिब्युनल मुम्बई ब्रांच मुम्बई से पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 प्रकरण संख्या 3652/2019 के अनुसार उक्त निम्बोल सीमेन्ट प्लांट का डीमर्जर मैसर्स निरमा लिमिटेड से होकर उसका मर्जर नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड में कर दिया गया है। उपरोक्त मर्जर आदेश दिनांक 01.02.2020 से प्रभावी है। इस प्रकार से उक्त सीमेन्ट प्लांट ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में संचालित व उत्पादनरत है, तथा इस सीमेन्ट प्लांट से सम्बन्धित विधिक कार्यवाहीया करने हेतु नियमानुसार बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स की मिटिंग में प्रस्ताव लेकर इस कम्पनी की ओर से अधिकृत मेनेजिंग डारेक्टर ने इस सीमेन्ट प्लांट के विधिक कार्यवाहीया करने के लिये श्री परिक्षित खिड़ीया को अधिकृत करते हुये उन्हें अपना आ मुख्त्यारनामा धारक नियुक्त कर दिया है एवं उक्त व्यक्ति इस कम्पनी की विधिक कार्यवाहीयो के बाबत जानकारी रखते है एवं भारतीय नागरिक है। उक्त आम मुख्त्यारनामा की प्रति इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार से अदालत श्रीमान के समक्ष विचाराधीन इस प्रार्थना पत्र का पदवार जवाब निम्नानुसार है प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्यों को प्रार्थी स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 392 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा भूमि मे से बाद बंटवाड़ा जवाब देहन्दा का खसरा संख्या 392 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि जवाब देहन्दा कम्पनी की है। जिसके संबंध में निवेदन है कि इस कार्यवाही में वर्णित भूमि का रूपान्तरण वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ सीमेंट उद्योग हेतू करवाने बाबत् अन्दर अवधि जवाब देहन्दा कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र पेश किया जाकर आवश्यक भू-रूपान्तरण शुल्क एवं तत्पश्चात तहसीलदार जैतारण द्वारा चाहा गया अन्य आवश्यक रूपान्तरण शुल्क जिसमें शास्ति राशि भी जमा करवायी जा चुकी है। जिससे संबंध दस्तावेज की प्रतिया इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार से राज्य सरकार के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

निर्देशानुसार सक्षम अधिकारीगण के समक्ष नियमानुसार व विधिक प्रावधानों अनुसार कृषि भूमियों को अकृषि प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों अनुसार भूमियां वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की कार्यवाही की हुई है। उक्त भू-रूपान्तरण नहीं हो जाता तब तक भूमि मौके पर खाली पड़ी है। एवं उसको अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं लिया जा रहा है। भू-रूपान्तरण की कार्यवाही जवाब देहन्दा कम्पनी द्वारा की गई इस बाबत नियमानुसार भू-रूपान्तरण शुल्क भी जमा करवाया जा चुका है। तथा इन समस्त तथ्यों की तहसीलदार जैतारण को भलीभांति जानकारी है। उसके बावजूद भी जवाब देहन्दा कम्पनी के विरुद्ध यह निराधार कार्यवाही पेश की गई है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 व 4 में वर्णित तथ्यों का जवाब है कि उक्त भूमि खरीद करने के बाद से ही मौके पर अभी तक अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं ली गई है। तथा मौके पर खाली पड़ी है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। वास्तविकता हमें उक्त भूमि खरीद करने के बाद से ही मौके पर अभी तक अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं ली गई है। तथा मौके पर खाली पड़ी है। जिसके बाबत भू रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन है। इस प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा जो प्रकरण सुने व विचारण किये जाने योग्य है उसमें यह मामला नहीं आता है। तथा भूमि का भू-रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन होने से राजस्व न्यायालय को इस प्रकरण में कोई सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन एवं इस पद में लिखे गए खसरा नम्बर एवं बताया गया रकबा से संबंधित तथ्य भी कतई गलत होने से अस्वीकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) के तहत भूमि से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि कार्य, उपवन, चारागाह, व उन पर निर्मित मकान, बाड़े, सिंचाई के प्रयोजनार्थ भूमियों से होगा। जबकि इस प्रकरण में वर्णित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की राशियां जमा हो जाने से इस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए अदालत श्रीमान के इस प्रकरण में कोई क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। कि विबद्धके सिद्धान्तानुसार इस प्रकरण में वर्णित भूमियों के बैचान उपरान्त नामान्तरणकरण की कार्यवाही भू-रूपान्तरण की कार्यवाही स्वयं राज्य सरकार एवं उनके प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण द्वारा ही की गई है। एवं अपने द्वारा की गई कार्यवाहियों से भी सायल स्वयं पाबन्द है उसके विपरीत किसी भी प्रकार का कोई उज्जर नहीं लेने हेतु भी तहसीलदार स्वयं पाबन्द है। इसलिए तहसीलदार जैतारण को इस प्रकरण में कोई बिनाय वाद जवाब देहन्दा कम्पनी के विरुद्ध प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भी यह कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा पेश की गई कार्यवाही के समर्थन में पक्षकार का शपथ पत्र एवं उस शपथ पत्र का सत्यापन भी किया जाना आवश्यक है इस प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से न तो शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है एवं न ही उसका सत्यापन ही किया गया इसलिए भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कवित्त खासिज के होने से खासिज फरमावे। उपखण्ड जैतारण में उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार के पद पर एक ही व्यक्ति के पदस्थपित रहने से एवं पश्चातवर्ती प्रक्रम में में नामान्तरणकरण की कार्यवाही करने से एवं भू-रूपान्तरण बाबत आवश्यक जांच व शुल्क भी तहसीलदार जैतारण द्वारा ही जमा किया गया होने से प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2015 का उल्लेख कर देने से ही समय की छूट पाने का अधिकारी नहीं है। इस बाबत डिले कण्ठेन बाबत कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं हुआ है। इसलिए भी प्रार्थी की ओर से परस्तुत प्रार्थना पत्र कवित्त खासिज के होने से खासिज किया जावे। बहरस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार एवं अधिवक्ता की सुनी गई।

तहसीलदार जैतारण, भू. अ. निरीक्षक वृत्त, निम्नोल एवं हल्का पटवारी निम्नोल द्वारा पर्द मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स दिनांक 06.02.2020 व 04.09.2020 पेश की गई, जो शामिल मिस्सल की गई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहरस सुनते हुये, उस पर मन्नन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रकरण का त्रिद्वयार विवेचन एवं निर्णय निम्नावुसार है :-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्वर्त धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर विवेचन किया है कि वादग्रस्त आराजी गाम निम्नोल के खसरा नम्बर 392 रकबा 35-16 बीघा जिसकी किस्म बागानी रोयम है, अर्थात् कृषि भूमि है। जिसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है परन्तु अपार्थी उक्त आराजी मे से 11-18 बीघा कृषि भूमि पर अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहे है। जिस से कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई है। उक्त कृत्य की जानकारी दिनांक 15.06.2015 को प्राप्त हुई, अतः अपार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विवेचन है कि अपार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब दया प्रस्तुत कर विवेचन किया है कि जुवोको विस्टस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) जिसमें मैसर्स सिद्धि विनायक सिमेन्ट प्रा. लि. का समागमन मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो जाने से एवं तत्पश्चात मैसर्स निरमा लिमिटेड निम्नोल सिमेन्ट प्लांट का डीमार्ज निरमा लिमिटेड से बर्जर जुवोको विस्टस कॉरपोरेशन लिमिटेड में हो गया, जो वर्तमान में कार्यरत है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 392 का कुल रकबा 35-16 बीघा में से 11-18 बीघा जवाबदेहका कम्पनी का है। उक्त भूमि का रूपान्तरण वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ सीमेंट उद्योग हेतु करवाने बाबत अन्तर अधि जवाब देहका कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र पेश कर आवश्शक भू-रूपान्तरण शुल्क एवं तत्पश्चात तहसीलदार जैतारण द्वारा चार्ज गया अन्य आवश्शक रूपान्तरण शुल्क निरममें शारित राशि भी है, जमा करवायी जा चुकी है। उक्त भू-रूपान्तरण नहीं हो जाता तब तक वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली पड़ी है तथा उसकी अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा जो प्रकरण सुने व विचारण किए जाने योग्य है उसमें यह मानला नहीं आता है। भू-रूपान्तरण कार्यवाही विवादाधीन होने से राजस्व न्यायालय को इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्रधिकार एवं श्रवणधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा



5(24) के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि नहीं आती है। उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है।

3. प्रकरण में न्यायालय के आदेश से वादग्रस्त आराजी की अद्यतन मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफस तहसीलदार जैतारण से प्राप्त किया गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.02.2020 के साथ संलग्न पटवारी निम्बोल की मौका रिपोर्ट एवं फोटोग्राफस, दिनांक 06.02.2020 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 392 रकबा 35-16 बीघा किस्म बारानी दायम में से 11-18 बीघा भूमि मैसर्स निरमा लिमिटेड की खातेदारी भूमि है। प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार खसरा संख्या 392 के 1/3 हिस्से में पत्थर इत्यादि (वेस्ट मेटेरियल) बिखरे पड़े हैं। शेष 2/3 हिस्से में वृक्षारोपण किया हुआ है। भूमि में कोई पक्का निर्माण नहीं है। भूमि सीमेंट प्लांट की चारदीवारी के भीतर है। मौके पर कृषि भूमि का अकृषि हेतु उपयोग हो रहा है। मौका रिपोर्ट के साथ दिनांक 06.02.2020 को पटवारी निम्बोल द्वारा लिया गया मौके फोटोग्राफस जो पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित है, से स्पष्ट है कि मौके पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ में प्रयुक्त औद्योगिक वेस्ट मेटेरियल पड़ा है।

4. प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार जैतारण की स्वयं की उपस्थिति में नवीनतम मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफस प्राप्त किया गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.09.2020 के साथ संलग्न तहसीलदार जैतारण, भू अ, निरीक्षक एवं पटवारी निम्बोल की संयुक्त मौका रिपोर्ट मय मौके के फोटोग्राफस दिनांक 04.09.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 392 रकबा 35-16 बीघा किस्म बारानी दायम में से 1/3 हिस्से की भूमि में पत्थर इत्यादि वेस्ट मेटेरियल पड़ा है। तथा 2/3 हिस्से में वृक्षारोपण किया हुआ है। भूमि में कोई पक्का निर्माण नहीं है। चूंकि सीमेंट प्लांट की चार दीवारी के भीतर स्थित है। मौके पर भूमि कृषि योग्य नहीं है। भूमि का उपयोग अकृषि है।

5. अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित व न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं फोटोग्राफस दिनांक 06.02.2020 एवं 04.09.2020 का न तो खण्डन किया गया तथा न ही इसके विरोध में कोई कथन या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

6. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अनुसार आराजी की किस्म बारानी दायम है जो कि काबिल काश्त कृषि भूमि की श्रेणी में आती है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 05(24) में विहित भूमि की श्रेणी में आती है। जिसके सम्बन्ध में वाद/प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार उक्त अधिनियम की धारा 207 एवं तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत केवल न्यायालय हाजा को ही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 एवं अनुसूची तृतीय की प्रविष्टि संख्या 67 के अनुसार हानिकारक कार्य या शर्त भंग के लिये धारा 177 के अन्तर्गत विचारण करने के लिये केवल न्यायालय सहायक कलक्टर ही सक्षम है। अतः अप्रार्थी का यह कथन की वादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) के अन्तर्गत भूमि की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आवेदन कर शुल्क व शास्ति जमा करवाई थी, अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादग्रस्त आराजी पर लागू नहीं होता तथा न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है

उपखण्ड अधिकारी एवं
पटवारी सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

क्योंकि अप्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी को अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश से सम्बन्धित कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह विश्वास किया जाये कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है। केवल संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ आवेदन कर देने तथा शुल्क व शारित आदि जमा करवा देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि ऐसी भूमि कृषि भूमि न होकर अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान में भी कृषि भूमि है। अतः अप्रार्थीगण के आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं है।

7. अप्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण समय सीमा से बाधित होना अंकित किया है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार से एवं किस समय सीमा तक प्रकरण समय सीमा से बाधित है। प्रार्थी वादी तहसीलदार जैतारण द्वारा पैरा संख्या 06 में मुतनाजा आराजी पर दिनांक 15.06.2015 कृषि भिन्न कार्य किये जाने की सूचना प्राप्त होने का कथन किया है तथा प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 22.07.2015 को दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये अधिनियम की अनुसूची तृतीय की प्रविष्टि संख्या 67 में समय सीमा तीन वर्ष निर्धारित है। अतः हस्तगत प्रकरण समय सीमा से बाधित नहीं होकर परिसीमा के भीतर है।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है :-

177. अहितकर कार्य या शर्त भंग के लिए बेदखली - (1) भू-धारक के आवेदन पर


अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए अहितकर हो या जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे के पर दी गई हो, उससे असंगत हो, या

(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है जिसके भंग करने पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, के अनुसार बेदखली का दायी हो:

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा।

9. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं वादग्रस्त आराजी से संबंधित मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 एवं 04.09.2020 एवं मौके के फोटोग्राफ के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बोल के खसरा संख्या 392 रकबा 35-16 बीघा किरम बारानी दोयम जो कि कृषि भूमि है के तत्कालीन खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 1 सिद्धि विनायक सीमेन्ट प्रा0 लि0 तत्पश्चात इसके स्थान पर दर्ज वर्तमान खातेदार मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) निम्बोल है द्वारा अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि पर औद्योगिक सीमेंट प्रयोजनार्थ प्रयुक्त वेस्ट मेटेरियल डम्प/स्टॉक करके अप्राधिकृत रूप से कृषि भूमि का अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया जो वर्तमान में भी जारी है, जिसके लिए उक्त खातेदार द्वारा किसी भी सक्षम



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अधिकारी से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उक्त खातेदार का उपर्युक्त प्रत्यय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि के लिए अहितकर कार्य की श्रेणी में आने के साथ साथ काश्तकार और सरकार के मध्य की संविदा का भी भंग है। अतः उक्त खातेदार के सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की भूमि में से अभिधृति अधिकार विलोपित करते हुए भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर मौके से बेदखल किया जाकर तत्काल कब्जा राज लिया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा। चूंकि खसरा संख्या 392 कि शेष 2/3 भूमि पर वृक्षारोपण किया हुआ है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि के लिए अहितकर कार्य की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि यह कृषि भूमि के लिए अनुमत गतिविधि में शामिल है। अतः शेष 2/3 भाग जो अन्य सहखातेदारान् के हिस्से की भूमि है, को यथावत रखा जाना विधिसंगत होगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- निम्बोल, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 392, रकबा 35-16 बीघा, किस्म- बारानी दोयम में से तत्कालीन खातेदार मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसके स्थान पर दर्ज वर्तमान खातेदार मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) निम्बोल है, के सम्पूर्ण 1/3 हिस्से जो वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित है, से प्रतिवादी मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान दर्ज खातेदार मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) निम्बोल है, के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 इस निर्णय का भाग होगी। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 16/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-पाली)-पाली

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-पाली)-पाली

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास

:- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
:- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. सिद्धि विनायक सीमेन्ट प्रा0 लि0
302 अभिशिल्प कॉम्प्लेक्स नियर
केशवबाग पार्टी प्लोट सेटेलाई
अहमदाबाद जरिये चिमनभाई पुत्र
पोपटभाई रफालिया हाल निम्बोल
तहसील जैतारण जिला पाली(राज.)
2. चर्तुभुज पुत्र चौथमल कौम- छीपा
निवासी झालरापाटन
3. कंचनदेवी पत्नी दुर्गाराम सांखला माली
निवासी- निम्बोल तहसील- जैतारण

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा ,
177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955

मु0न0 :-388/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व
हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता,
प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी अंतर्गत
धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से
स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- निम्बोल, तहसील- जैतारण,
खसरा नम्बर 392, रकबा 35-16 बीघा, किस्म- बाराणी दोयम में से तत्कालीन
खातेदार मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसके स्थान पर दर्ज वर्तमान
खातेदार मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद जो वर्तमान में
नुवोको विस्टस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) निम्बोल है, के सम्पूर्ण 1/3 हिस्से
जो वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित
है, से प्रतिवादी मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान दर्ज खातेदार
मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद जो वर्तमान में नुवोको
विस्टस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) निम्बोल है, के खातेदारी अधिकारों को
विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को
भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे। तहसीलदार जैतारण
को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020
तथा 04.09.2020 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में
तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 इस निर्णय का
भाग होगी। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा।
तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर
संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।




उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....
फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।

बसिद्ध मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/05/2022 को जारी किया गया ।

मोहर




उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पट्टेन
पट्टेन सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी जेतारण,
जिला-पाली
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-		—Nil—	मिजान:-	01	00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।